प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अट्ठाईस' [28/3/2018]

प्रश्न सं. [क्र. 3150]

परिशिष्ट –अ

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ–11/54/2006/एक/9 भोपाल, दिनांक 14 जून, 2006

प्रति,

समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय :– विधानसभा क्षेत्रवार विकास कार्यों की समीक्षा।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि विधानसभा क्षेत्रवार विकास कार्यों को गति देने हेतु मान० विधायकगण की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अतः विधानसभा क्षेत्र में आने वाले अनुविभाग तथा विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों की बैठक का आयोजन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा प्रत्येक 3 माह में किया जाये। जिस विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक राजस्व अनुविभागों के क्षेत्र आते हो, वहाँ जिला कलेक्टर यह तय करेंगे कि कौन से अनुविभागीय अधिकारी संयोजक होंगे। विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए अनुविभागीय अधिकारी एवं विकासखण्ड स्तरीय सभी अधिकारी बैठक में उपस्थित रहेंगे।

2/ बैठक की तिथि का निर्धारण संबंधित मान० विधायक से समन्वय कर किया जावे। बैठक की अध्यक्षता मान० विधायक एवं संयोजन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) करेंगे। बैठक का कार्यवाही विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। विभागीय अधिकारी उनके विभाग से संबंधित सभी विकास योजनाओं में प्राप्त आवंटन, प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृतियों की स्थिति, प्रचलित विकास कार्यों की भौतिक स्थिति, हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

3/ संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सुनिश्चित करेंगे कि इन बैठकों का नियमित रूप से आयोजन हो।

4/ कृपया तदनुसार सर्वसंबंधितों को आवश्यक निर्देश दें।

(अखिलेश अर्गल)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग